


Name of Project

Improvement of Bahraich - Gonda section of State Highway No. 30 from Km 4+150 to Km 64+282 of SH-30 in Bahraich and Gonda district in the State of Uttar Pradesh (Proposal No. FP/UP/ROAD/147236/2021)

Ekku d sh r

(वन अनुभाग-3 भासन उ0प्र0 के पत्र सं0 7314/14-3-1080/82 वन अनुभाग- 3 दिनांक 31-12-2005 }_{kjk fu/kkfj r Ak}

1. भूमि हस्तारण के बाद भी उनके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उनके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्ति वि"ष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनि"चत कर लिया जाये कि माँगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। (जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।)
5. हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किए जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी तथा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देखरेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाए गये मुनारे आदि की भी देखभाग करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु आने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा को क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनि"चत करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी। (लागू नहीं क्योंकि वनजन्तु एवं बहुमूल्य वन सम्पदा का हस्तान्तरण नहीं होना है)
9. उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/ पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को नि:शुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति वि"ष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आव"यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित आदि (आटोमेटिक) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी।
11. सडक निर्माण प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का पराम"र्ष सा0नि0वि0, द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता सा0नि0वि0, के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि


Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D., Lucknow.


Name of Project Improvement of Bahraich - Gonda section of State Highway No. 30 from Km 4+150 to Km 64+282 of SH-30 in Bahraich and Gonda district in the State of Uttar Pradesh (Proposal No. FP/UP/ROAD/147236/2021)

अ"व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेर बदल कर पक्का करना होगा, ब"र्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आव"यक है।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के आधार पर आंकलित होगा, जो याचका विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आव"यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाग मूल्य देय होगा।
14. हस्तानान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तानान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दो पेड़ का रोपण तथा तीन वर्ष का प्रतिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मी० एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बाज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, जो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आव"यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण भू-रक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनो पटरियों को पक्का करना आव"यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी वि"िष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है, तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आ"वासन प्राप्त हो जायेगा।

उपरोक्त समस्त शर्तें हमें मान्य हैं।

Date:
Place:


Project Proponent
Superintending Engineer
UP PWD
Wor"ojana Circle
P.W.D., Lucknow.